

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 586/2025

राजेंद्र पालीवाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव वन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, वन भवन (मुख्यालय) जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला वन अधिकारी, जैसलमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.03.2025

आदेश की दिनांक : 18.03.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.पी.एस. भाटी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वन संरक्षक के पद पर उप वन संरक्षक, रेंज जैसलमेर जिला जैसलमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से रेंज डाबला उप वन संरक्षक जिला जैसलमेर में 130 किमी दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.02.2025 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। अपीलार्थी अल्प वैतनिक कर्मचारी है। अपीलार्थी की पत्नी अक्सर बीमार रहती है जिसका इलाज जैसलमेर में चल रहा उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.02.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वन संरक्षक

के पद पर उप वन संरक्षक, रेंज जैसलमेर, जिला जैसलमेर में निरंतर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
4. प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य